web: www.nyaysakshi.com | पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल | पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, मंगलवार 17 जनवरी 2023 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-05, अंक- 111

महत्वपूर्ण एवं खास

बिहार में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की कार पलटी, 5 कर्मी घायल

पटना (आरएनएस)। केंद्रीय राज्य मंत्री (एमओएस) अश्विनी चौबे के काफिले का एक एस्कॉर्ट वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए। हादसा रविवार देर रात उस वक्त हुआ जब केंद्रीय मंत्री बक्सर से पटना जा रहे थे। इस दौरान गाड़ी पलट कर गड्ढे में जा गिरी। मंत्री ने ट्विटर पर वीडियो साझा किया, जिसमें उन्हें पलटे हुए एस्कॉर्ट वाहन का निरीक्षण करते देखा जा सकता है।जिस इनोवा कार में केंद्रीय मंत्री सवार थे, वह एस्कॉर्ट कार के ठीक पीछे थी। घायल पुलिसकर्मियों को डुमरांव अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है और दो की हालत गंभीर है। दुर्घटना के बाद, चौबे के निजी सुरक्षा गाडरें ने अन्य सहयोगियों के साथ उन्हें बचाया और अस्पताल में भर्ती कराया। चौबे ने कहा, पुलिस वैन पानी से भरे गड्ढे में गिर गई। मेरे साथ यात्रा कर रहे हमारे सुरक्षाकर्मियों और अन्य समर्थकों ने वाहन के शीशे तोड़ दिए और उन्हें बचा लिया। दो पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं। चौबे ने कहा कि चूंकि दो पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई थीं, इसलिए उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना एम्स ले जाया गया। हादसा डुमरांव के पास मथिला-नारायणपुर मार्ग पर हुआ। अश्विनी कुमार चौबे बक्सर के सांसद और नरेंद्र मोदी सरकार में पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। वह चौसा में आंदोलनकारी किसानों से मिलने पटना आए और कुछ दिन पहले उन्हें उनके कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा।

चार्जशीट के बाद डिफॉल्ट जमानत की जा सकती है रद्द : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि चार्जशीट दाखिल करने पर आरोपी को दी गई डिफॉल्ट जमानत गुण-दोष के आधार पर रद्द की जा सकती है। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने तेलंगाना उच्च न्यायालय को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के चाचा पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की 15 मार्च, 2019 को हुई हत्या के मामले में इरा गांगी रेड्डी के जमानत को निरस्त करने की सीबीआई की याचिका पर गुण दोष के आधार पर सुनवाई करने का निर्देश दिया। पीठ में न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार ने कहा कि जब आरोपी के खिलाफ एक मजबूत मामला बनाया जाता है, तो केवल चार्जशीट (समय सीमा के भीतर) दाखिल नहीं करना पर्याप्त नहीं होगा। शीर्ष अदालत ने मामले को उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया, ताकि वह कानून के अनुसार और गुण-दोष के आधार पर इस पर नए सिरे से विचार कर सके। शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय का फैसला, जिसमें कहा गया है कि डिफॉल्ट जमानत को मेरिट के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है जांच एजेंसियों की सुस्ती को बढ़ावा देगा। शीर्ष अदालत इस बात पर विचार कर रही थी कि क्या चार्जशीट पेश करने के बाद जमानत रद्द की जा सकती है, जबकि 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर जमानत दी गई थी। पीठ ने कहा कि केवल चार्जशीट दाखिल करने से रद्दीकरण नहीं होगा जब तक कि एक मजबूत मामला नहीं बनता है कि अभियुक्त ने एक गैर-जमानती अपराध किया है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन को झटका, चलेगा रेप का केस

नई दिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के खिलाफ कथित दुष्कर्म एवं धमकी देने की शिकायत के एक मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के अदालती आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्त की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत के प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश को बरकरार रखने वाले एक फैसले को चुनौती देने वाली याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता को दोषी नहीं ठहराया गया था तथा उसके पास कानून के तहत अन्य कानूनी उपाय उपलब्ध थे। उच्च न्यायालय ने दिल्ली के एक विशेष न्यायालय के आदेश को उचित ठहराया था, जिसमें एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश को उचित ठहराया गया था। इससे पहले विशेष न्यायालय ने हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा था।

गणतंत्र दिवस पर दिल्ली-पंजाब सहित कई बड़े शहरों पर आतंकी हमले का साया, अलर्ट जारी

नई दिल्ली (आरएनएस)। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकवादी संगठनों अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट के साथ मिलकर राजधानी दिल्ली, पंजाब समेत देश के अन्य कई शहरों में बड़े हमले करने की साजिश रच रही है। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है।

हमलों के लिए पाकिस्तान आईएसआई ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इरबाहिम के गुर्गों की मदद ली है। इतना ही नहीं भारत में होने वाले जी-20 समिट पर भी आतंक का साया मंडरा रहा है। आतंकी संगठन जी20 सम्मिट के दौरान बड़े साइबर हमले करने की फिराक में है।

खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान अपने स्लीपर सेल और अवैध रोहिंग्यों का इस्तेमाल कर 26 जनवरी के मौके पर दिल्ली और पंजाब में आईईडी ब्लास्ट करवा सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अल-कायदा के आतंकी 'लोन वुल्फ अटैक' के फिराक में हैं। अगर 26 जनवरी पर आतंकी हमले का प्लान फेल हुआ, तो जी-20 समिट के दौरान भारत के विभिन्न शहरों में आतंकी हमले करवाने की साजिश आईएसआई ने रची है।

आतंकी साजिश का बड़ा खुलासा, टारगेट किलिंग को देने वाले थे अंजाम; पहला निशाना बजरंग दल- गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी साजिश का भंडाफोड़ किया है। पाकिस्तान का आतंकी संगठन हरकत उल अंसार 27 जनवरी को बजरंग दल के किसी बड़े नेता की हत्या करने वाला था। इसके अलावा संगठन के निशाने पर शिवसेना और कांग्रेस के नेता भी थे। इस टारगेट किलिंग के लिए संगठन ने जहांगीरपुरी से गिरफ्तार आतंकियों को सुपारी दी थी। पहला टारगेट पूरा होने पर इन आतंकियों को संगठन द्वारा 50 लाख रुपये मिलने वाले थे। यह खुलासा खुद पकड़े गए आतंकियों ने पुलिस की पूछताछ में किया है।

आतंकियों ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में कबूल किया है कि इन वारदातों की तैयारी के लिए उन्हें पहले ही पांच लाख रुपये मिल चुके हैं। यह रकम हवाला के जरिए आई है। आतंकियों ने बताया है कि एक युवक की हत्या का वीडियो संगठन के हैंडलर को भेजने के बाद उन्हें टार्गेट मिल चुका है। जिन नेताओं को संगठन ने टार्गेट पर लिया है, उनके नाम पर पहचान की पूरी जानकारी उन्हें मिल चुकी है। इसके आधार पर उन लोगों ने रैकी भी शुरू कर दी थी, लेकिन वारदात को अमलीजामा पहनाने के लिए सही वक्त का इंतजार किया जा रहा है।

आतंकियों ने पुलिस की पूछताछ में स्वीकार किया है कि उनके लिए ना केवल फिक्स टारगेट मिला था, बल्कि हर टारगेट के लिए एक रकम भी तय हुई है। उन्हें पहला टारगेट पूरा होते ही 50 लाख रुपये की राशि मिलने वाली थी। वहीं दूसरा और तीसरा टारगेट पूरा होने पर फिर से 50-50 लाख रुपये की राशि मिलने वाली थी। आतंकियों ने बताया कि यह रकम भी हवाला के जरिए ही उनके पास आने वाली थी। इस खुलासे के बाद पुलिस आतंकी नेटवर्क के साथ ही हवाला नेटवर्क की जड़ें भी तलाशने में जुट गई है।

पुलिस के मुताबिक जहांगीर पुरी से पकड़े गए आतंकियों जगजीत और नौशाद ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि 27 जनवरी को बजरंग दल के नेता की हत्या के बाद दूसरी वारदात 31 जनवरी को होनी थी। इसमें कांग्रेस के एक बड़े नेता की हत्या की जानी थी। यह वारदात ऐसे समय पर अंजाम दिया जाना था जब वह नेता एक देश व्यापी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस टारगेट की सफलता के बाद तीसरा टारगेट शिवसेना के एक नेता की हत्या का था।

पुलिस के मुताबिक जहांगीर पुरी से गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आतंकियों की निशानदेही पर दिल्ली के भलस्वा डेयरी स्थित एक मकान से एक युवक का शव और दो हथगोले बरामद किए थे। युवक का शव तीन टुकड़ों में था। जांच करने पर पता चला कि आरोपियों ने शव के आठ टुकड़े किए थे। आतंकियों के मोबाइल फोन से बरामद वीडियो को देखकर मामले की जांच कर रही पुलिस के मुताबिक इस पूरी वारदात के तार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ जुड़ गए हैं।

वीडियो देखने से पता चलता है कि आतंकियों ने डेमो की तौर पर युवक की हत्या कर वारदात का वीडियो बनाया था। यह वीडियो कनाडा में बैठे हैंडलर को भेजा है। इसमें आतंकियों ने संदेश देने का प्रयास किया है कि उनके इरादे और भी खूंखार हैं। 37 सेकंड के इस वीडियो से पता चलता है कि आतंकियों ने युवक के शव के तीन नहीं बल्कि आठ टुकड़ों में काटा था।

दलाल के जरिए महिला पुलिस अधिकारी ने मांगी 2 करोड़ की रिश्वत, एसीबी ने लिया हिरासत में

जयपुर (आरएनएस)। एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई को अमल में लाते हुए सोमवार को एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने से पहले दिव्या के आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की गई। एनडीपीएस (नशे की तस्करी) के मामले में दलाल के जरिए 2 करोड़ की रिश्वत मांग कर परेशान करने के मामले में एसओजी की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल को एसीबी ने हिरासत में लिया गया है। छापे की कार्रवाई अजमेर एसओजी कार्यालय, उदयपुर में नेचर हिल रिसोर्ट और जयपुर के फ्लैट समेत 5 ठिकानों पर की गई। एसीबी एडिशनल एसपी बजरंग सिंह के अनुसार परिवादी ने पिछले दिनों शिकायत की थी।

प्रकरण में उसे आरोपी बनाने की धमकी देकर जांच अधिकारी दिव्या मित्तल ने दो करोड़ रुपए रिश्वत की डिमांड की थी। मित्तल पर आरोप है कि उसने एक दलाल के माध्यम से पीड़ित परिवादी को उदयपुर में खुद के रिसोर्ट में बुलवाया। दिनभर टॉर्चर भी किया। बाद में वह मजबूरी में 10000000 रुपए देने का वादा कर वहां से मुक्त हुआ। परिवादी ने बताया कि दिव्या मित्तल को पहली किस्त के तौर पर 2500000 रुपए दलाल को दिए थे। यह राशि दलाल अजमेर में दिव्या मित्तल को देने वाला था, लेकिन शक होने के कारण उसने यह राशि नहीं दी।

पीएमओ की टीम ने किया जोशीमठ का दौरा, दरारों में हुई हल्की बढ़ोत्तरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। जोशीमठ के हालात को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार स्तिथि पर निगरानी बनाए हुए हैं। गृह मंत्रालय के बाद अब प्रधानमंत्री कार्यालय की एक टीम ने जोशीमठ का दौरा कर आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। जल्द ही ये टीम अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की उच्चस्तरीय टीम जोशीमठ का दौरा कर पिछले हफ्ते वापस लौट चुकी है। अब पीएमओ में उप सचिव मंगेश घिल्डियाल के नेतृत्व में एक केंद्रीय टीम ने जोशीमठ का दौरा किया। जानकारी के मुताबिक दौरे का मकसद उस क्षेत्र की स्थिति का अलग से निरीक्षण करना था, जहां दरारें दिखाई दे रही हैं और पानी की गुणवत्ता बिगड़ रही है।

एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव मंगेश घिल्डियाल जोशीमठ पहुंचे और आपदा राहत, बचाव कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ नगर पालिका क्षेत्र में भू-धंसाव प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि दरारों में मामूली वृद्धि हुई है, जिसकी निगरानी विशेषज्ञों की एक टीम कर रही है।

वहीं दूसरी तरफ आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने भी रविवार को उत्तराखंड के जोशीमठ में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और कहा कि दरारों की संख्या में हल्की वृद्धि हुई है, लेकिन किसी भी नए क्षेत्र को नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा है।

गौरतलब है कि गृह मंत्रालय की एक टीम ने सीमा प्रबंधन सचिव डीएस गंगवार के नेतृत्व में पिछले सप्ताह देहरादून और जोशीमठ का दौरा किया था और राज्य के अधिकारियों के साथ परामर्श किया था। टीम 10 जनवरी को जोशीमठ भी गई। स्थानीय अधिकारियों ने केंद्रीय टीमों को जिला अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी है।

सरकार ने कोविड-19 टीके के कई दुष्प्रभावों को किया स्वीकार

❐ आरटीआई में चौंकाने वाला खुलासा

मुंबई (आरएनएस)। सरकार की दो संस्थाओं ने स्वीकार किया है कि दो वर्षों में एक अरब से अधिक भारतीयों पर लगाए गए कोविड-19 टीकों के एकाधिक दुष्प्रभाव हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) और सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (सीडीएससीओ) ने पुणे के व्यवसायी प्रफुल्ल सारदा की ओर से मांगी गई आरटीआई की जानकारी में चौंकाने वाला खुलासा किया है।

भारत ने एस्ट्राजेनाका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के 'कोविशील्ड' और एसआईआई के अपने 'कोवोवैक्स' टीके को अनुमति दी है। हैदराबाद स्थित तीन कंपनियों के टीके – सरकार द्वारा संचालित भारत बायोटेक लिमिटेड की 'कोवैक्सिन', डॉ. रेड्डीज लैब ने 'स्पुतनिक वी', बायोलॉजिकल ई. लिमिटेड की 'कॉर्बवैक्स' और बाद में कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड अहमदाबाद ने टीनएजर्स (12-17 उम्र) के लिए जेडसीओवाई-डी टीके का आयात किया।

इन सभी टीके के दुष्प्रभावों पर शारदा के पूछे गए सवाल पर आईसीएमआर डॉ. लियाना सुसान जॉर्ज और सीडीएससीओएस के सुशांत सरकार ने इन सभी टीकों से उत्पन्न होने वाले प्रभावों का हवाला दिया है, जिसमें उनके अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न शामिल हैं।

कोविशिल्ड से लाल धब्बे या खरोंच, बिना किसी कारण के लगातार उल्टी, गंभीर या लगातार पेट दर्द या उल्टी के साथ या बिना सिरदर्द, सांस फूलना, सीने में दर्द, अंगों में दर्द या बाहों को दबाने पर सूजन, किसी विशेष पक्ष या शरीर के अंगों की कमजोरी/पक्षाघात, दौरे, आंखों में दर्द, धुंधली ²ष्टि या डिप्लोपिया आदि समस्याएं सामने आई।

कोवोवैक्स के साइड-इफेक्ट्स हैं इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द/कोमलता/कठोरता, थकान, अस्वस्थता, सिरदर्द, बुखार, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, उल्टी की मतली, ठंड लगना, शरीर में दर्द या अंगों में अत्यधिक दर्द, अस्थेनिया (कमजोरी या ऊर्जा की कमी), इंजेक्शन वाली जगह पर खुजली (खुजली, दाने, लाल त्वचा, पित्ती), बढ़े हुए लिम्फ नोड्स, पीठ दर्द आदि। कोवाक्सिन हल्के लक्षणों को इंजेक्शन साइट दर्द / सूजन, सिरदर्द, थकान, बुखार, शरीर में दर्द, पेट में दर्द, मतली, उल्टी, चक्कर आना, चक्कर आना, कंपकंपी, पसीना, सर्दी और खांसी प्रदर्शित करता है। स्पुतनिक वी का दुष्प्रभाव ठंड लगना, बुखार, आश्रालिजया, माइलियागिया, शक्तिहीनता, सिरदर्द, सामान्य बेचैनी, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द/सूजन/हाइपरएमिया, या मतली, अपच, भूख न लगना, या कभी-कभी बढ़े हुए क्षेत्रीय लिम्फ नोड्स के साथ प्रकट होता है। कारबीवैक्स बुखार/पाइरेक्सिया, सिरदर्द, थकान, शरीर में दर्द, माइलियागिया, मतली, या आश्रालिजया, पित्ती, ठंड लगना, सुस्ती के अलावा इंजेक्शन साइट दर्द/इरिथेमा, सूजन, दाने, प्रुरिटिस या जलन जैसे प्रभाव दिखाता है। सारदा ने सरकार से डेटा जारी करने का आग्रह किया कि क्या मीडिया, अस्पतालों, टीकाकरण केंद्रों द्वारा इन सभी संभावित दुष्प्रभावों पर पर्याप्त प्रचार किया गया था, और क्या स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों के लिए कोई सार्वजनिक सुरक्षा अभियान शुरू किया है।

पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दो श्रद्धालु बेहोश होकर गिरे

पुरी (आरएनएस)। ओडिशा के पुरी में मकर संक्रांति के मौक पर भगवान जगन्नाथ की एक झलक पाने के लिए रविवार को मंदिर में रविवार को सुबह से ही भारी भीड़ होने के कारण दो श्रद्धालु बेहोश हो गए, जिनमें से एक नाबालिग था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पीथापुर, कटक की एक नाबालिग किशोरी दिव्या साहू और पुरी की एक 65 वर्षीय महिला सुलोचना साहू बेहोश हो गई और उन्हें जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें दवा दी गई और बाद में छुट्टी दे दी गई।

हर दिन श्री मंदिर में भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है, सप्ताहांत और छुट्टियों पर संख्या और बढ़ जाती है। बारहवीं शताब्दी के मंदिर के प्रमुख देवताओं, त्रिदेवों की मागल आरती देखने के लिए सुबह से ही भक्त मंदिर में प्रवेश करने के लिए कतार में घंटों प्रतीक्षा करते हैं।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मिहिर पांडा ने कहा कि मंदिर के अंदर कोई भगदड़ नहीं हुई। भीड़ के कारण श्रद्धालुओं का दम घुटने लगा। श्रद्धालुओं को परेशानी मुक्त दर्शन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की गई थी।

स्थानीय लोगों का कहना है कि भक्त घंटों लाइन में लगकर थक रहे हैं और प्रशासन को कतार में उनके प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

केंद्र ने सीजेआई को दिया सुझाव, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में सरकारी प्रतिनिधि करें शामिल

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने का सुझाव दिया है, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति पर फैसला करता है। कानून मंत्री ने एक पत्र में कहा कि सरकार के प्रतिनिधि होने से पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही बढ़ेगी।

न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर केंद्र और न्यायपालिका के बीच चल रहे विवाद के बीच यह पत्र सामने आया है। कानून मंत्री का पत्र संवैधानिक अधिकारियों द्वारा कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना की श्रृंखला में नवीनतम है, जिसमें उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष शामिल थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, यह बेहद खतरनाक है। न्यायिक नियुक्तियों में बिल्कुल भी सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

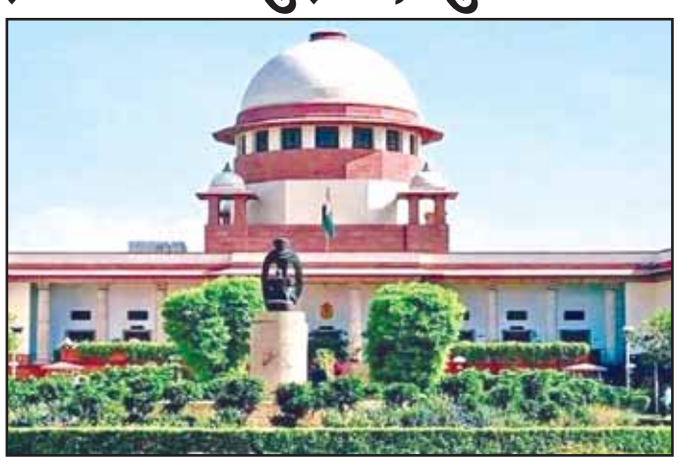

दिल्ली के मुख्यमंत्री के ट्वीट का जवाब देते हुए, रिजिजू ने ट्वीट किया: मुझे उम्मीद है कि आप अदालत के निर्देश का सम्मान करेंगे! यह कदम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) अधिनियम को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के दिए निदेशरें के तहत ही उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कॉलेजियम सिस्टम के एमओपी को पुनर्गठित करने का निर्देश दिया था।

एक अन्य ट्वीट में, कानून मंत्री ने कहा, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजे लेटर में कंटेंट्स सुप्रीम कोर्ट की पीठ के निदेशरें और टिप्पणियों के अनुरूप हैं। सुविधाजनक राजनीति ठीक नहीं है, खासकर न्यायपालिका के नाम पर। संविधान भारत सर्वोच्च है और कोई भी इससे ऊपर नहीं है।

पिछले साल रिजिजू ने एक मीडिया कार्यक्रम में कहा था कि न्यायाधीश केवल उन लोगों की नियुक्ति या पदोन्नति की सिफारिश करते हैं, जिन्हें वे जानते हैं और जरुरी नहीं कि हमेशा नौकरी के लिए सबसे योग्य व्यक्ति वही होते हैं। बाद में कानून मंत्री ने पिछले साल दिसंबर में कहा था कि उपयुक्त संशोधनों के साथ राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को फिर से पेश करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। संसद में राजनेताओं, मल्लिकार्जुन खड़गे और डॉ जॉन बिट्टास द्वारा उठाए गए कई सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने यह बात कही।

रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक अदालतों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। पिछले साल 28 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम पर कानून मंत्री किरेन रिजिजू की हालिया टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था।

शीर्ष अदालत ने जजों की नियुक्ति में देरी को लेकर भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया था और कहा था कि सरकार कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों पर अपनी आपत्ति जता सकती है, लेकिन वह बिना नामों को रोककर नहीं रख सकती है।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार, 2014 में, न्यायाधीशों की नियुक्ति के सिस्टम को बदलने के प्रयास में एनजेएसी अधिनियम लाई। सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम सिस्टम को दोहराया और 4:1 के अनुपात में 99वें संविधान संशोधन अधिनियम के साथ एनजेएसी अधिनियम को रद्द कर दिया।